रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10112022-240166
CG-MH-E-10112022-240166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2022/कार्तिक 18, 1944
No. 550] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022/KARTIKA 18, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 9 नवम्बर, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/99.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1क) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, —

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम 1 नवम्बर, 2022 को लागू हुए माने जाएँगे ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में संशोधन

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में, —

   I. दूसरी अनुसूची में, भाग-क में, खंड (1) में, अंकों और शब्दों “3000 अमरीकी डॉलर और 300 अमरीकी डॉलर” के स्थान पर अंक और शब्द “2500 अमरीकी डॉलर और 250 अमरीकी डॉलर” आ जाएंगे ।

II. दूसरी अनुसूची में, भाग-ग में, खंड (1) में, अंकों और शब्दों "1000 अमरीकी डॉलर" के स्थान पर अंक और शब्द "800 अमरीकी डॉलर" आ जाएंगे ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में संशोधन

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में, —

I. दूसरी अनुसूची में, भाग-क के स्थान पर निम्नलिखित भाग आ जाएगा, अर्थात्, —

"भाग-क

फीस के रूप में अदा की जाने वाली रकम

आवेदन फीस	2,100 अमरीकी डॉलर
रजिस्ट्रीकरण फीस	8,500 अमरीकी डॉलर"

माधबी पुरी बुच , अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./373/2022-23]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th November, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PAYMENT OF FEES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/99.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 30 read with sub section (1) of Section 11, clause (ba) of sub-section (2) of Section 11 and sub-sections (1) and (1A) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), and under Section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, and the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, namely, —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2022.

2. They shall be deemed to have come into force on November 1, 2022.

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019

3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, —

   I. In Second Schedule, in Part A, in clause 1, the words and symbols "US $3000 and US $300" shall be substituted with "US $2500 and US $250".

   II. In Second Schedule, in Part C, in clause 1, the words and symbols "US $1000" shall be substituted with "US $800".

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000

4. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, —

   I. In Second Schedule, PART A shall be substituted with the following, namely —

“PART A

Amount to be paid as fees

Application fee	(US$) 2,100
Registration fee	(US$) 8,500”

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./373/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.11.10 15:08:47 +05'30'